स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम

एक परिचय

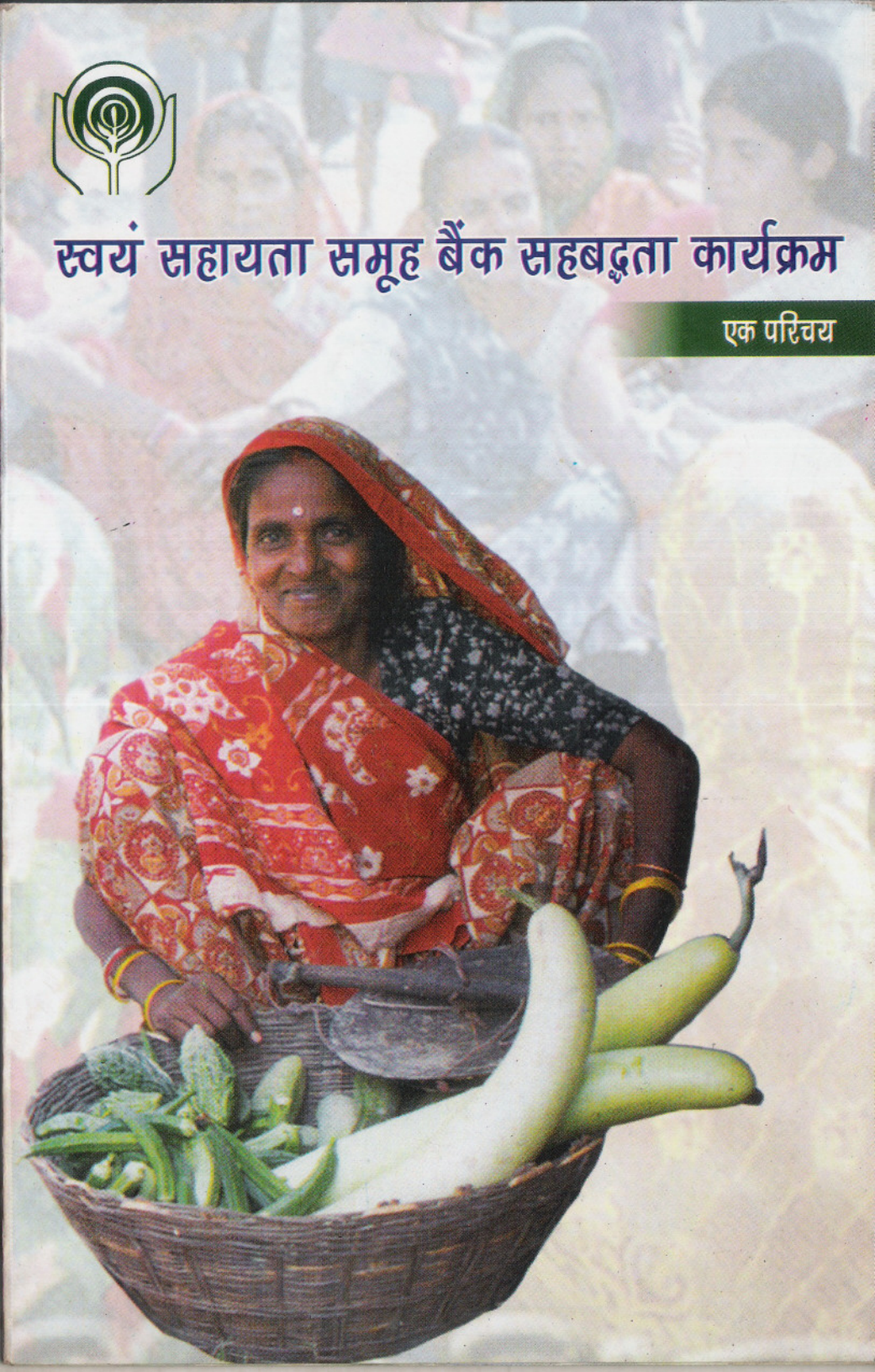

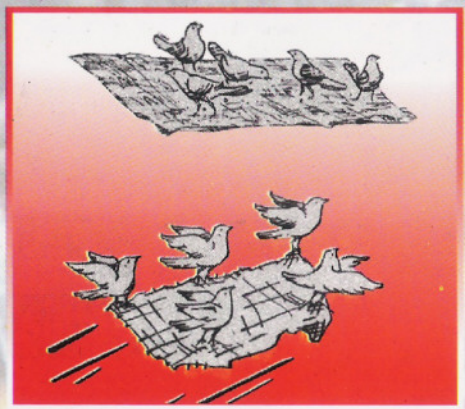

जाल में फंसे पंछियों की कहानी बहुत पुरानी है, पर इसकी उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई है। जो काम अकेले असंभव लगता है-मिलजुलकर करने से वह आसान हो जाता है।

क्या हम अपने गाँवों के लोगों की मदद भी इसी तरह से कर सकते हैं ?

आइए, इस बारे में और जानकारी प्राप्त करें।

1. स्वयं सहायता समूह क्या है ?

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 ग्रामीण गरीबों का एक समूह है जो स्वेच्छा से

- नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी राशि बचाते हैं । व्यक्तिगत राशि को सामूहिक निधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं ।
- सामूहिक निर्णय लेते हैं ।
- सामूहिक नेतृत्व के द्वारा अपने आपसी मतभेदों का समाधान करते हैं । आसान शर्तों पर, संपार्शिवक जमानत के बगैर, ऋण उपलब्ध कराते हैं ।

लकड़ियों के गठ्ठर की भाँति समूह भी शक्तिशाली होता है। समूह के सदस्य एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का आसानी से सामना कर सकते हैं। सभी को मालूम है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है ।

2. स्वयं सहायता समूह क्यों बनाएँ?

- बचत ही विकास का पहला कदम है : एक रुपया बचाया यानी एक रुपया कमाया। नियमित बचत द्वारा प्रत्येक सदस्य का आर्थिक स्तर सुधारना व स्वावलम्बी बनाने के लिये ;
- किसी भी कार्य के लिये छोटी-मोटी ऋण जरूरतों को सामूहिक बचत कोष से पूरा करने के लिए समूह को बैंक की सेवाएँ-जमा खाता एवं ऋण सुविधा सुलभ कराने के लिये ;
- आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सामूहिक चर्चा और पारस्परिक विचार-विमर्श से सुलझाने के लिये ;
- साक्षरता, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य संबंधी एवं सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी समूह के सदस्यों को समय-समय पर दिलाने के लिये ;
- सदस्यों में तालमेल और सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास करने के लिये ;
- बेहतर लाभ कमाने के लिए, कृषि कार्यों में खाद, बीज आदि तथा गैर कृषि कार्यों में कच्चे माल आदि की सामूहिक खरीद एवं उत्पादों की सामूहिक/संगठित बिक्री द्वारा समग्र विकास करने के लिये ।

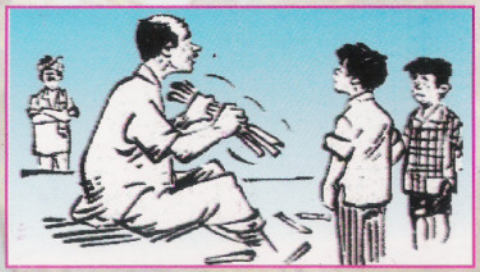

राधिका रोहतास जिले के मुरादाबाद गाँव की रहने वाली एक गरीब दलित महिला है। परिवार की जिम्मेदारी और शराबी पति के उत्पीड़न ने राधिका को समय से पहले बूढ़ी बना दिया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने पड़ोसी से उधार लिया करती थी।

'महिला समाख्या' के तत्वाधान में जब बचत एवं ऋण कार्यक्रम शुरू किया गया तो राधिका भी उसकी सदस्या बनी। राधिका ने गांव के बाहर सड़क के किनारे चाय की दुकान खोलने के लिए समूह की आन्तरिक बचत कोष से रु.700/- का ऋण लिया। राधिका के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। आज राधिका रोज रु.350-रु.400/- का चाय बेच लेती है। इसके साथ-साथ पान और अन्य सामान भी बेचती है। राधिका आज खुशहाल है। आज वह न केवल अपने परिवार का खर्च चला रही है बल्कि अपने बच्चों को भी स्कूल भेज रही है। आज उसका पति भी उसके साथ इज्जत से पेश आता है। राधिका कहती है: ''आज मेरा पति भी मुझसे मशविरा करता है। सारे परिवार के खर्चे की योजना मैं बनाती हूँ।'' उसकी आँखों में आज चमक है.....। ''आज मैं 50-60/- रु. प्रति दिन कमा लेती हूँ।''

3. स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- बैंकों की शाखाओं के वृहत विस्तार के बावजूद बैंक दूर-दराज के गाँवों में रहने वाले करोड़ों परिवारों को बैंकिंग सेवाएँ बचत और ऋण सुविधाएँ नहीं पहुँचा पाए हैं अभी भी लगभग 40 प्रतिशत निर्धन ग्रामीण अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं हेतु महाजनों पर निर्भर हैं जहां ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं। स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम ऐसे लोगों को बैंकों से जोड़ने का एक सरल, नया एवं कम खर्चीला मार्ग है।

4. इस कार्यक्रम में नया क्या है और कैसे यह सरल और कम खर्चीला है?

- एक तरह से यह गरीबों का अपना बैंक है जिसे चलाने के लिए नियम सदस्य खुद ही बनाते हैं।
- इसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- समूह को सरकारी रूप से मान्यता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम को विशेष मंजूरी दी गई है।
- अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा बैंक से लेन-देन करने के बजाय समूह से लेन-देन करने के कारण बैंक से कार्य व्यवहार करने का खर्च कम पड़ता है, साथ में बैंक की सेवाएँ समूह के सदस्यों को लगभग उनके द्वार पर ही उपलब्ध होती है।
- समूह का गठन स्वैच्छिक संगठन, सरकारी विभाग, कृषक क्लब, बैंक या गांव के शिक्षक कर्मचारी या अन्य लोग स्वयं भी कर सकते हैं।

सारन जिला, कुम्हना गाँव की पूनम देवी घूंघट में रहनेवाली शर्मीली स्वभाव की महिला थी। उसकी जीवनचर्या घर और बच्चों तक ही सीमित था। गैर सरकारी संगठन 'वरदान' की प्रेरणा से वह एक स्वयं सहायता समूह की सदस्या बनी। स्वयं सहायता समूह के लाभ देख वह अपने क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरक का कार्य करने लगी तथा अन्य महिलाओं को समूह बना कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अभिप्रेरित करने लगी। दो वर्षों के भीतर उसने अनेको परिवारों का दिल जीत लिया और पंचायत समिति की सदस्य का चुनाव जीत गईं। वह कहती है 'स्वयं सहायता समूह' से उसे न केवल आर्थिक स्थिरता मिली बल्कि एक पहचान तथा जीवन में एक उद्देश्य भी मिला।

5. समूह की नियमावली

- समूह को अपने परिचालन के लिए समूह के गठन के तुरन्त पश्चात नियमावली बना लेनी चाहिए। जैसे :
- समूह का नाम क्या होगा ?
- समूह के कौन-कौन सदस्य होंगे ? (18 वर्ष से कम आयु का सदस्य नहीं होना चाहिए।)
- नये सदस्यों को कैसे प्रवेश दिया जायेगा ?
- किन स्थितियों में किसी सदस्य को बाहर किया जा सकेगा ?
- समूह की नियमित साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बैठक कब होगी ?
- बैठक में अनुपस्थित रहने पर क्या दंड होगा?
- आकस्मिक बैठक किन स्थितियों में बुलाई जाएगी ?
- प्रति सदस्य बचत की राशि क्या होगी? निर्धारित बचत राशि न दे पाने पर क्या कोई जुर्माना देय होगा ?
- समूह का नकदी राशि का बक्सा किसके पास रहेगा तथा बक्से की चाबी किसके पास रहेगी?
- किन प्रयोजनों/कामों के लिए कितनी ऋण राशि दी जाएगी व ऋण लेने वाले सदस्यों को आवश्यकता की प्राथमिकता के निर्धारण तथा उसकी ऋण वापसी की क्षमता के निर्धारण के मापदंड क्या होंगे?
- वापसी का समय व किश्तों की संख्या तथा राशि कैसे तय की जाएगी?
- किश्त न आने पर जुर्माना क्या होगा तथा सदस्यों को ऋण पर ब्याज दर क्या देनी होगी ?
- क्या ब्याज दरें सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए एक समान होगी या अलग-अलग उद्देश्यों के लिये अलग-अलग ?
- प्रबन्धकीय समिति (अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष) का चयन कैसे होगा तथा उनका कार्यकाल क्या होगा ?
- बैंक खाते के संचालन के लिए किन दो पदाधिकारी को अधिकार होगा? कार्यकाल के पूर्व अथवा कार्यकाल की समाप्ति पर उसे पुन: चयनित करने के संबंध में क्या व्यवस्था होगी ?

पश्चिम चम्पारण जिले के सुदूर गांव की अति गरीब महिला गायत्री देवी के लिए 10 प्रतिशत की मासिक ब्याज दर पर साहूकारों से रु० 2000/- की चुकौती करना असंभव था। उसने अपनी दो बेटियों की शादी के लिए गांव के साहूकार से रु० 2000/- उधार लिया था। यूनिसेफ का कम्यूनिटी कन्वरजेन्स एक्शन (सीसीए) कार्यक्रम चलाने वाला गैर सरकारी संगठन 'रीड' की सलाह से वह चीता महिला समिति की सदस्या बन गई और एक वर्ष के भीतर रु० 600/- की बचत की। उसके बाद उसने बैंक से रु० 2000/- ऋण लिया और एक पाड़ी (भैस की बछिया) खरीदी। पाड़ी को एक वर्ष तक पाला-पोसा और फिर उसे रु० 6000/- में बेच दिया। उसने साहूकार को रु० 4000/- की चुकौती की और शेष रु० 2000/- से उसने दूसरी पाड़ी खरीदी। पाड़ी को एक वर्ष पालने-पोषणे के बाद उसने उसे बेच दिया। अब गायत्री देवी एक आत्मविश्वास से पूर्ण महिला है और गांव की दूसरी महिलाओं को नए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करती है।

6. बैंक में समूह का बचत खाता खुलवाना

क. बचत खाता कब और कहाँ खुलवायें ?

- समूह गठन के बाद जब समूह की बचत शुरू हो जाती है तो अपने नजदीक की किसी भी बैंक शाखा में समूह का बचत खाता खुलवा लें। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशो के अनुसार बैंक के लिए स्वयं सहायता समूहों का खाता खोलना अनिवार्य है, चाहे समूह उस शाखा के किसी गाँव से न भी हो।
- बैंक खाता समूह के नाम से ही खुलेगा न कि सदस्यों के व्यक्तिगत नाम से ।
- बैंक बचत खाता खुलने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नाबार्ड के नजदीकी जिला कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें ।
- समूह का बचत खाता बैंक शाखा में खुलने तथा समूह के गठन के छः महीने पश्चात समूह के लिए बैंक में ऋण का आवेदन किया जा सकता है ।

ख. बचत खाता कैसे खुलवायें ?

- बैंक में खाता खुलवाने के लिए निम्न कागजात जरूरी हैं :
- समूह की नियमावली
- समूह का प्रस्ताव जिसमें प्रबन्धकीय समिति के दो नामित सदस्यों को बचत खाता खोलने व खाता संचालन का अधिकार हो ।
- प्रबन्धकीय समिति के नामित अधिकारी सदस्यों के तीन-तीन फोटो ।
- बैंक शाखा में खाताधारी किसी व्यक्ति द्वारा समूह के पदाधिकारियों का परिचयांकन। यह परिचयांकन बैंक को स्वीकार्य किसी गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी अथवा गांव के सरपंच से भी करवाया जा सकता है ।

बैंक में बचत खाता खोलने के लिए प्रस्ताव का नमूना (यह फार्म बैंक की शाखा से प्राप्त किया जा सकता है)

समूह का नाम एवं पता:

समूह के सदस्यों की संख्या :

बैठक दिनांक :

1) हम निम्न सदस्य उपरलिखित स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, जिसका गठन ..... (तिथि) को किया गया है।

2) हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य सर्वसम्मति से निम्न प्रतिनिधियों को विशेष रूप से प्राधिकृत करते हैं:

क. स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित .....

.. बैंक शाखा में बचत खाता खोलना और खाते का निम्नलिखित प्राधिकृत पदाधिकारियों में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से संचालन करेंगे।

श्रीमती/श्री/कुमारी (पदनाम)

श्रीमती/श्री/कुमारी (पदनाम)

श्रीमती/श्री/कुमारी (पदनाम)

ख. स्वयं सहायता समूह को देय ब्याज/भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदें/पावतियां जारी करना।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान (सभी सदस्य)

7. बैठकें

- समूह के सफल संचालन के लिए नियमित बैठक निश्चित तिथि/दिन को करें।
- बैठक में सभी सदस्य बचत राशि को जमा करें।
- जिन सदस्यों ने उधार लिया हो उनसे ऋण किश्त की वसूली (ब्याज सहित) करें।
- जिन सदस्यों को ऋण की आवश्यकता है, उन्हें सबकी सहमति से ऋण प्रदान करें।
- सदस्य अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं, आय बढ़ाने के कार्यक्रमों, साक्षरता, कृषि स्वास्थ्य संबंधी व आपसी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा अवश्य करें।
- ग्राम पंचायत में आई नई विकास योजनाओं तथा गांव की समस्याओं पर आपस में और जरूरत पड़ने पर, सामूहिक रूप से तथा गाँव के अथवा आस-पास के गाँवों में गठित अन्य स्वयं सहायता समूहों को एक जुट कर विभागीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श करें।
- बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का समान अधिकार व स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा एक या दो व्यक्यिों द्वारा लिये गये निर्णय को अन्य सदस्यों पर नहीं थोपना चाहिए।
- समूह में मतभेद निपटाने के लिए खुलकर और गहराई से चर्चा होनी चाहिए तथा आपस में बैठकर मुद्दे को समझकर निपटारा करना चाहिए।

गया जिले के दहरिया बिद्या गांव की कारा देवी के लिए अपनी बेटी की शादी करना तब एक सपना सा था, जब तक वह एक गैर सरकारी संस्थान 'दिशा' द्वारा प्रवर्तित 'स्वयं सहायता समूह' की सदस्य नहीं बनी थी। 'पहले मुझे 50/-रु. का ऋण लेने के लिए भी महाजन के पास अपना बर्तन गिरवी रखना पड़ता था।' वह अब याद करती है।

कारा देवी ने 2/- रु. प्रति सौ प्रति माह की दर से रु. 1000/- 'समूह' से ऋण लिया जिससे उसने अपनी बेटी की शादी की। वह अपनी दैनिक मजदूरी में से रु. 30/- प्रतिमाह 'समूह बचत कोष' के लिए नियमित रूप से जमा करती है। आज समूह में उसकी अपनी बचत रू. 3500/- है। उसका कहना है: 'समूह' की सहायता से मेरा जीवन बदल चुका है।

8. आन्तरिक ऋण लेन-देन

समूह में बचत के पश्चात् समूह द्वारा जरुरतमंद सदस्यों को ऋण देना आरम्भ कर देना चाहिए। सदस्य की ऋण वापसी की क्षमता देखते हुए ऋण देने का निर्णय बैठक में सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। ऋण की वापसी की किश्तें तथा ब्याज सदस्य को बता देना चाहिए। ऋण के मूलधन व ब्याज की वापसी समूह की नियमावली के अनुसार बैठक में की जानी चाहिए।

9. समूह के रजिस्टर व खाते

समूह के लेन-देन व्यवहार में पारदर्शिता होनी चाहिए। जिसके लिए रिकार्ड रजिस्टरों पर लिखे जाने चाहिए। रजिस्टरो के सभी पृष्ठो पर पृष्ठ संख्या डाले तथा प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठ संख्या लिखें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। रिकार्ड सही लिखने से सभी

सदस्यों का विश्वास बना रहता है तथा बैंक ऋण प्राप्ति में भी सुविधा रहती है। सामान्यत: समूह निम्न प्रकार के साधारण रिकार्ड रखते हैं, जिन्हें संभाल कर रखना चाहिए:

अ. सदस्यता व कार्यवाही रजिस्टर

ब. सदस्यों की पासबुक

स. बचत तथा ऋण रजिस्टर

समूह के लेन-देन के लिए कौन-कौन से रजिस्टर रखने हैं इसका अन्तिम निर्णय समूह को ही लेना है। ऊपर लिखित रजिस्टरों का वर्णन आगे दिया जा रहा है।

अ. सदस्यता व कार्यवाही रजिस्टर :

इस रजिस्टर के आरम्भ में सदस्यता सूची व नियमावली लिखी जाती है तथा बाद के पृष्ठों में बैठक की कार्यवाही लिखी जाती है।

ब. पासबुक :

प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत बचत एवं ऋण पासबुक दी जाती है। यह पुस्तिका बैंक पासबुक जैसी होती है तथा प्रत्येक सदस्य का समूह में बचत व ऋण के हिसाबी लेन-देन की राशि लिखकर कोषाध्यक्ष द्वारा सदस्य को लौटा देनी चाहिए।

स. बचत तथा ऋण रजिस्टर

एक ही रजिस्टर के अन्दर बचत, ऋण तथा अन्य आय-व्यय के खातों का रख-रखाव किया जा सकता है। इन खातों का विवरण इस प्रकार है:

क. बचत खाता

क्र. सं.	सदस्य का नाम	जनवरी		फरवरी		.....	दिसम्बर		कुल	
		बचत	दण्ड	बचत	दण्ड		बचत	दण्ड	बचत	दण्ड
1										
2										
3										
20										
	मासिक बचत									
	पिछली बचत									
	कुल बचत									

ख. ऋण खाता

प्रत्येक सदस्य को दिये गये ऋण, ऋण का उद्देश्य, ऋण की अदायगी व शेष ऋण आदि व्यक्तिगत ऋण खाते में लिखना चाहिए।

सदस्य का नाम : .....

दिनांक	विवरण	ऋण की राशि	तय किया गया ब्याज	वापस की गई राशि		बकाया राशि		हस्ताक्षर
				मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	

ग. अन्य आय व व्यय खाता

अन्य आय व व्यय (जैसे रजिस्टर खरीदना, फोटो पर खर्च आदि) का विवरण भी अलग खाते में लिखना चाहिए।

घ. समूह का वार्षिक आय-व्यय खाता

समूह को हर तीन/छ: महीने पर तथा 31 मार्च को आय-व्यय का खाता बनाना चाहिए।

10. बैंक से ऋण की प्राप्ति

समूह गठन के छः माह पश्चात तथा अपनी बचत कोष से ऋण देने के राशि कम पड़ने पर समूह द्वारा आवेदन दिये जाने पर बैंक समूह की बचत तथा समूह की लेन-देन व्यवहार की परिपक्वता के आधार पर ऋण देगा। बैंकों से प्राप्त ऋण समूह के बचत कोष की तरह ही, समूह द्वारा तय किये गए ऋण दर पर, आपसी लेन-देन के लिए प्रयोग करना चाहिए। बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाले ऋणों पर अधिकतम ब्याज दर इस वक्त (जनवरी 2004 में) 11% हो सकती है। बैंक को ऋण समय पर लौटाना समूह के सभी सदस्यों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक दायित्व होगा। समूह को ऋण प्राप्ति के लिए सामान्यतः निम्नलिखित कागजात बैंक को देने पड़ते हैं।

- ऋण के लिए समूह का बैंक को आवेदन पत्र।
- स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित परस्पर करारनामा।
- समूह को ऋण प्रदान करते समय बैंक के साथ करारनामा (लोन एग्रीमेंट)। यह करारनामा समूह के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

11. ऋण देते समय बैंक किन बातों को ध्यान में रखते हैं?

- समूह सामान्यतः कम से कम छः माह की अवधि से सक्रिय हो तथा नियमित बचत कर रहा हो।
- समूह ने अपने एकत्रित बचत कोष से आपस में सदस्यों को ऋण वितरित व वापसी बराबर करते रह कर परिपक्वता का पर्याप्त प्रदर्शन किया हो।
- नियमित बैठकों व अन्य रिकार्ड का उचित रख-रखाव किया हो।
- समूह का लोकतांत्रिक स्वरूप हो जिसमें हर सदस्य यह अनुभव करे कि समूह में उसकी आवाज का महत्त्व है।
- समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं विचारधारा में एकरूपता हो।
- समूह के गठन में परस्पर सहायता और मिलकर काम करने की वास्तविक आवश्यकता प्रदर्शित हुई हो।

गरीबों के छोटे छोटे समूह बनाकर उनकी सामूहिक ताकत, रुपया पैसा और सूझ-बूझ का इस्तेमाल करके और उन्हें बैंकों द्वारा बिना जमानत ऋण दिलवाकर विकास की ओर ले जाने का रास्ता नाबार्ड ने दिखाया है। देश में लाखों गरीब परिवार इसी प्रकार से विकास की राह पर चल चूके है।

आप भी गाँव के गरीबों की मदद कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह बना कर।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

BBVS .....A Social Service Organization

Regd. Office : - 3/9 Katra Boli, Nala Machhratta, Farrukhabad-209625 (Uttar Pradesh)

Mob. 09919277565, 09125939294 Email -ashish.nstar@live.com

Visit us at - www.bbvs.weebly.com